# न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 28/2018

**अपीलांट–**
मोहनलाल पुत्र निंबाराम जाति दर्जी निवासी पुराना गांव बायतु तहसील बायतु जिला बाड़मेर

*बनाम*

**रेस्पोडेंट्स –**
1 तगाराम पुत्र निंबाराम
2 तहसीलदार बायतु

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 67 दिनांक 01.06.2015 जो तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया।**

उपस्थिति :–
1. श्री श्रवण कुमार चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 1 अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 2 प्रफॉर्मा पक्षकार।

## निर्णय

दिनांक : 31.01.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 67 दिनांक 01.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा पुरानागांव के खसरा नम्बर 777, 778 कुल रकबा 54–05 बीघा के खातेदारान मोहनलाल तगाराम पि0 नीम्बाराम कौम दर्जी ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.06.2015 को तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा को स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 67 दिनांक 01.06.2015 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:57 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

15.06.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 67 दिनांक 01.06.2015 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलाधीन आदेश पक्षकारान के मौके पर कब्जा अनुसार नहीं है तथा यह नक्शा दोनों पक्षों के विवाद का कारण बन गया है। अपीलाधीन विभाजन से जो रकबा निर्धारित हुआ है वह निर्विवाद है किन्तु नक्शा त्रुटिपूर्ण होने से रकबा एवं नक्शा में एकरूपता आवश्यक है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन नक्शे त्रुटि का ज्ञान अपीलांट को 10 दिन पूर्व हुआ जब हलका पटवारी मौके पर तरमीम करने एवं पैमाईश करने हेतु आए तथा अपीलाधीन आदेश के बारे में बताया गया। इस पर अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु दिनांक 16.05.2018 को आवेदन किया और नकल प्राप्त होने पर उसे ज्ञात हुआ कि अपीलांट की ढाणी व टांका तथा भौतिक कब्जे का रकबा पडौसी रेस्पोडेंट संख्या 1 के हिस्से में आ रहा है और विभाजन का तस्दीकशुदा नक्शा अपीलांट के भौतिक कब्जानुसार नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा के इकरारनामा पर पारित आदेश अपास्त योग्य है।

5. हस्तगत अपील के विचारण के दौरान रेस्पोडेंट संख्या बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:57 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि मौजा पुरानागांव के खसरा नम्बर 777, 778 कुल रकबा 54–05 बीघा के खातेदारान मोहनलाल तगाराम पि0 नीमाराम कौम दर्जी ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.06.2015 को तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 67 दिनांक 01.06.2015 पारित किया गया। इस विभाजन इकरारनामा में भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नही करवाई गई। इस प्रकार तहसीलदार बायतु द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही करने से उक्त विभाजन नक्शा कब्जा से भिन्न एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 67 दिनांक 01.06.2015 अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण तहसीलदार बायतु को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 31.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:57 IST
Reason: SelfAttested